



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा यु.च.रुमर, थाना नं० 319, खाता सं० 23, खेसरा सं० —, रकबा 2.33 ए से संबंधित जमाबंदी रैयत हुसैनी सिंग — पिता गुरुलाल सिंग के नाम से ग्राम यु.च.रुमर में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


DST


A


अंचल पदाधिकारी
उत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं हसनपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
इसैनी सिंह	मुनिराबाद	319	23	-	2.33	गैरभाजक	खाल
पिता सुकल सिंह						मालिक	खाल

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- खाल न। विवरण उपलब्ध नहीं है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल -- खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य 100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA

अंचल अधिकारी

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वांछित रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंतीवर्ती पंजी से

(ग) वांछित-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

पंजी में
रखियान से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है?

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित

197/2016-17 (अर्जित द्वारा 40) B.R. No. 1950 के द्वारा अवैध जमाबंदी का लेखा-पत्रिका अचल जमाबंदी के जमींदार से 2016-17 में उठाये द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि लेखा में दर्ज सभी जमाबंदी में उस जमाबंदी के शासिका द्वारा बताया गया कि इस जमाबंदी का कोई व्यक्ति जमाबंदी नहीं पर विवास नहीं किया और न ही इसका उल्लेख भी पर लेखा-बोर्ड रहा है। यह सब व्यवधान के अनुसार भी जैसा जमाबंदी बताते नहीं हैं। जमाबंदी का जमाबंदी आबकारी पोर्टल पर दर्ज है और न ही आबकारी में पंजी का विवरण दर्ज है। अतः इस जमाबंदी पर पंजी नही नज़र आ रहा अतः मुलायम नहीं होता है। अतः अवैध जमाबंदी है जो प्रतिवेदन साफ़ संशयित है - 197/2016-17

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

रा. जल. उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन आंच. प्रतिवेदन का नाम दिया नहीं दिया। इस जमाबंदी अवैध जमाबंदी रद्द करने के लिए अनुमंडल किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त, उत्तरपुर। उत्तरपुर। उत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- हुरोनी सिंह पित सुकल सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं..... पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>पुचरमाड</u>	<u>319</u>	<u>23</u>	<u>—</u>	<u>2.33</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- गोंडा पंजी II स्पष्ट नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गौरमजरुआ मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी II में स्पष्ट नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
पंजी II में स्पष्ट नहीं है।
7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- पंजी II में स्पष्ट नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदाबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
:-

पंजी II में स्पष्ट नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>पंजी II में स्पष्ट नहीं है।</u>		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
असत पटव

अभिलेख, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

याद अभिलेख सं० 197 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम हुरेनी बिश्व

पिता - सुकल बिश्व

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा चुपलुहा थाना नं० 319
खाता सं० 23 खेसरा नं० — रकबा 233 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० — के पंजी-II भाग — के पृष्ठ — पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विदिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इस सख्त ताक़िद जाने।




08/12/22
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।